न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 126/2025(GCMS 2025/487)
(RTI No. 212602409780045)

श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल उम्र लगभग 76 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज.) एवं **चैम्बर नं. बी–64, कलक्टर परिसर, श्रीगंगानगर**– (मोबाईल नम्बर 94139–35077)

बनाम

अति. जिला कल्कटर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल आज स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2025 से तहत अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.10.25 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. प्रथम अपील संख्या 90/18 में संलग्न निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व सूचनाएं उपलब्ध करवाने की कृा करें, समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति
   - 1.1 प्रार्थना वांछित सूचना धारा 6(1) दिनांक 6.11.2018 प्रति।
   - 1.2 IPO No. 41F-168758 प्रति
   - 1.3 प्रथम अपील संख्या 90/2018 की प्रति
   - 1.4 निर्णय दिनांक 01.05.2019
2. प्रथम अपील संख्या 36/2019 से सम्बन्धित सूचनाओं की प्रमाणित प्रति –
   - 1.1 समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 802 दिनांक 24.10.2025 से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भिजवाया हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने पत्रांक 960 दिनांक 22.12.2025 से प्रथम अपील भी प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 126 / 2025
(GCMS No. 2025/487)
RTI No. : 212602409780045
राधेश्याम गोयल बनाम अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर

कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भिजवा दी गई है और **उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सीजी / जिला रिकार्ड / 11 दिनांक 06.01.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:**

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा वांछित सूचना से सम्बन्धित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया था तथा उनके द्वारा चाही गई सूचनाओं के कुल 41 पृष्ठ बनते थे, जिसके अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार 2 / — प्रति पृष्ठ अनुसार कुल 82 / — रूपये राजकोष में जमा करवाने हेतु उन्हें इस कार्यालय के पत्रांक जि.रि / 2024 / 171 दिनांक 07.11.2025 से लिखा गया था।
>
> अपीलार्थी ने दिनांक 14.11.2025 को पुनः आवेदन प्रस्तुत किया तथा 82 / — रूपये किस मद में मांगी गई है, की सूचना चाही गई थी, जिसमें उन्हें इस कार्यालय के सीजी / जिला रिकॉर्ड / 191 दिनांक 20.11.2025 को जवाब दिया गया था।
>
> उक्त के पश्चात अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा पुनः रिकॉर्ड का अवलोकन किये जाने पर, उनके द्वारा वांछित सूचना के कुल 18 पृष्ठ थे, जिस हेतु उन्हें 36 / — रूपये राजकोष में जमा करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सीजी / जिला रिकार्ड / 202 दिनांक 08.12.2025 से लिखा गया था, किन्तु आदिनांक तक अपीलार्थी के द्वारा कोई राशि राजकोष में जमा नहीं करवाई गई है। अपीलार्थी यदि उक्त राशि, राजकोष में जमा करवा देगा तो उसे वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही है जिस पर लोक सूचना **अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना** [illegible] है, जो **निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:21 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ** द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी वांछित सूचनाओं हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राशि राजकोष जमा करवा दे, तो उसे वांछित सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:21 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर